रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082022-238409
CG-DL-E-26082022-238409

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 581]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 26, 2022/भाद्र 4, 1944
No. 581]	NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 26, 2022/BHADRA 4, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2022

सा.का.नि. 657(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क विभाग, कार्यकारी सहायक (समूह 'ख' अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् : -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क विभाग, कार्यकारी सहायक (समूह 'ख' अराजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2022 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क विभाग, कार्यकारी सहायक (समूह 'ख' अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2015 (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 7 मे, "लेखबद्ध करके" शब्दों के पश्चात, "संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

3. उक्त नियम की अनुसूची में,-

(i) स्तंभ (6) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:-

''तीस वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाये ।";

(ii) स्तंभ (7) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :-

"(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री;

(ii) अभ्यर्थियों से कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी), जिसमे तीन माड्यूल समाविष्ट है – (क) वर्ड प्रोसेसिंग, (ख) स्प्रैडशीट और (ग) स्लाइड्स का निर्माण, उत्तीर्ण करने की अपेक्षा होगी, जिसे कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित किया जाएगा ।

टिप्पण: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जायें, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है";

(iii) स्तंभ (10) के हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

[फा. सं. ए-12018/01/2012-प्रशा. III बी]

मोहम्मद आशिफ, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में संख्या सा. का. नि. 741(अ) तारीख 28 सितंबर, 2015 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 135 (अ) तारीख 17 फरवरी, 2017 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2022

G.S.R. 657(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Excise and Customs Department, Executive Assistant (Group 'B', Non-Gazetted posts) Recruitment Rules, 2015, namely: -

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Central Indirect Taxes and Customs Department, Executive Assistant (Group 'B', Non-Gazetted posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Excise and Customs Department, Executive Assistant (Group 'B', Non- Gazetted posts) Recruitment Rules, 2015 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 7, after the words "in writing,", the words "in consultation with Union Public Service Commission" shall be inserted.

3. In the said rules, in the Schedule, -

(i) in column (6), for the entry, the following entries shall be substituted, namely: -

"Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission";

(ii) in column (7), for the entries, the following entries shall be substituted, namely: -

"(i) Degree from a recognised University or Institute;

(ii) Candidates shall be required to pass Computer Proficiency Test (CPT) comprising of three modules – (a) Word Processing, (b) Spread Sheet and (c) Generation of Slides, which will be conducted by the Staff Selection Commission.

Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified";

(iii) in column (10), in the column heading, for the word "posts", the word "vacancies" shall be substituted.

[F. No. A-12018/01/2012-Ad.III.B]

MOHAMMAD ASHIF, Under Secy.

NOTE : The principal rules were notified in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 741 (E) dated the 28th September, 2015 and amended *vide* notification number G.S.R. 135 (E) dated the 17th February, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.08.26 20:40:05 +05'30'